

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 875]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 नवम्बर 2025 — कार्तिक 29, शक 1947

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11 नवम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक/LAND/1009/2025-FOREST.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्र. 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय चार के प्रावधानों को नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन क्षेत्र पर लागू करने की घोषणा, इन शर्तों के अध्वधीन करती है कि ऐसे वनों पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकारों, जहाँ तक कि वे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उपांतरित किये जा सके, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड वटगन उत्तर अक्षांश N 21°28'0" से N 21°29'0" एवं पूर्वी देशांक E 82°10'0" से E 82°11'0" के बीच स्थित है, अर्थात् :-

अनुसूची

जिला: बलौदाबाजार-भाटापारा,		तहसील: पलारी,		वनमण्डल: बलौदाबाजार,		वन परिक्षेत्र: बलौदाबाजार
स.क्र.	वन खण्ड का नाम	ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नं.	राजस्व अभिलेख के अनुसार भूमि का वर्तमान मद	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे.में)	अवस्थिति/सीमायें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.	वटगन	वटगन 20	शासकीय घास भूमि (वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित)	36/5	3.500	निकटतम वन कक्ष क्रमांक 37 एवं उसकी दूरी-3.22 कि.मी. उत्तर:- कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 05 तक। पूर्व:- कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 05 से 09 तक। दक्षिण :- कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 09 से 10 तक।

						पश्चिम :- कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 10 से 11 एवं 01 तक।
योग					3.500	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रणय मिश्रा, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11 नवम्बर 2025

क्रमांक/LAND/1009/2025-FOREST.— भारत के संविधान अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/LAND/1009/2025-FOREST दिनांक 11-11-2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रणय मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 11th November 2025

NOTIFICATION

File NO. LAND/1009//2025-FOREST.— In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (No 16 of 127), The State Government, hereby declares that the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block Watgan lies between N 21°28'0" to N 21°29'0" North Latitude and E 82°10'0" to E 82°11'0" East Longitude, namely :-

SCHEDULE

District: Balodabazar-Bhatapara, Tehsil: Palari, Forest Division: Balodabazar, Forest Range: Balodabazar						
S. No.	Name of Forest Block	Name of Village and Patwari Halka No.	Present Head of Land as per Revenue Record	Khasra No.	Area (in Ha.)	Situation/Limit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Watgan	Watgan 20	Government Grass Land (Transferred and renamed in favour of Forest Department)	36/5	3.500	Nearest Forest Compartment No. 37 and its Distance - 3.22 K.M. North:- Artificial boundary line Survey Pillar Number 01 to 05 East:- Artificial boundary line Survey Pillar Number 05 to 09 South:- Artificial boundary line Survey Pillar Number 09 to 10 West:- Artificial boundary line Survey Pillar Number 10 to 11 and 01
Total					3.500	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRANAY MISRA, Joint Secretary.